न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 44/17

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

———— प्रार्थी

बनाम

श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति ओसवाल निवासी कोठी धौलपुर।

———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

निर्णय

दिनांक – 24.05.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 211/2 रकवा 11 विश्वा किस्म बा.दो. बाके ग्राम लाडमपुर तहसील धौलपुर अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 211/2 रकवा 11 विश्वा पर ढावा स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत विरोंधा में पेश हुयी। अप्रार्थी एवं प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार धौलपुर उपस्थित आये। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में ढावा स्थापित कर अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थीगण को सूचना के बावजूद भी उनके द्वारा सम्परिवर्तन नहीं कराया गया है। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner

दिये जावें। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसके द्वारा कोई ढावा नहीं चलाया जा रहा है। एक बार मौका दिखवाया जाकर उसके अनुसार कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2072–75 ग्राम लाडमपुर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 211/2 पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में गैर कृषि कार्य ढावा संचालित किया जा रहा है। रिपोर्ट पटवारी वर्ष 2017 की है।

उपरोक्तानुसार रिपोर्ट पटवारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 211/2 रकवा 11 विश्वा ग्राम लाडमपुर के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा आराजी पर कोई ढावा नहीं चलाया जा रहा है, मौका दिखवाया जाकर कार्यवाही की जावे। पटवारी की रिपोर्ट वर्ष 2017 की है, वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है। अतः हम प्रकरण को तहसीलदार धौलपुर को वापस भेज कर आराजी की वर्तमान मौका स्थिति की जांच करा कर वर्तमान की स्थिति अनुसार कार्यवाही कराना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 211/2 रकवा 11 विश्वा ग्राम लाडमपुर तहसील धौलपुर की पुनः मौका जांच की जाकर यदि वर्तमान में भूमि का अकृषि प्रयोजन होना पाया जावे तो प्रकरण पुनः पेश करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत हिनौता में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner